कार्यालय लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया,कृषि विश्वविद्यालय,
राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास ग्वालियर (म.प्र.)

लेखा नियंत्रक

फोन नं. 0751–2970516(O) 0751–2970515 (फैक्स)
E-mail comptroller@rvskvv.net

क्रमांक/ले.नि/पेंशन/2026–27/278 दिनांक :04/5/2026

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर प्रमण्डल की 60 वीं बैठक दिनांक 09.04.2026 के पद क्रमांक–05 में समयबद्ध श्रमिकों के उपदान भुगतान के संबंध में लिये गए निर्णयानुसार निम्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

उपदान भुगतान अधिनियम 1972 की धारा–04 के द्वारा अधिवार्षिकी सेवानिवृत्त पर, स्वयं की सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र देने पर, मृत्यु हो जाने पर अथवा कार्य के दौरान विकलांगता पर या बीमारी आने पर ग्रेज्युटी पाने की पात्रता निर्धारित की गई है।

ग्रेज्युटी की गणना अधिनियम की धारा–4 के अनुसार दैनिक वेतनभोगी श्रमिक के रूप में सेवा में आने से लेकर समयबद्ध श्रमिक की सेवा उपरांत सेवानिवृत्ति तारीख तक की निरंतर कालावधि को अर्हकारी सेवा माना गया है। अर्हकारी सेवा वर्षों में अभिव्यक्त की जायेगी, किन्तु पांच वर्ष से कम की सेवा के श्रमिकों को उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।(मृत्यु के प्रकरण को छोड़कर) अर्थात् ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार पांच वर्ष से कम की सेवा हेतु कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। पांच वर्ष से अधिक की सेवा जिसे निरंतर अर्हतादायीं सेवा(Continious qualifying) कही गयी है, ऐसी अर्हतादायी सेवा को वर्षों में अभिव्यक्त किया जावेगा। तदनुसार निम्न सूत्र से उपदान की गणना की जावेगी।

सूत्रः– $$\frac{\text{अन्तिम मूल वेतन(महंगाई भत्ता सहित)} \times 15 \times \text{अर्हतादायी सेवा}}{26} = \text{देय ग्रेज्युटी}$$

दैनिक वेतनभागी श्रमिक के रूप में की गई सेवा + टाइम स्केल कर्मचारी के रूप में की गई सेवा को जोड़कर निरंतर अर्हतादायी सेवा की गणना की जाकर, अंतिम वेतन के आधार पर उक्त सूत्र से उपदान की गणना की जावेगी। उपदान भुगतान अधिनियम 1972 की धारा–04 के प्रावधानुसार Continious qualifying Service के लिए अंतिम वेतन पर ग्रेज्युटी(उपदान) की गणना का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त गणना सूत्र के आधार पर देय ग्रेज्युटी (उपदान) राशि का भुगतान किया जावे।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित

R.S.Chaturvedi
(लेखा नियंत्रक)

क्रमांक/ले.नि/पेंशन/2026–27/279 दिनांक :04/5/2026

प्रतिलिपिः–

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
2. कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. निदेशक अनुसंधान/विस्तार/प्रक्षेत्र/शिक्षण, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
4. कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
5. समस्त अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/सीहोर/खंडवा/मंदसौर।
6. सह–संचालक अनुसंधान, ऑ.कृ.अनु.के., मुरैना/खरगौन/झाबुआ।
7. प्रभारी अधिकारी, क्षे.कृ.अनु.केन्द्र, उज्जैन/बागवई।
8. प्रक्षेत्र प्रभारी, फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी।
9. वरिष्ठ वैज्ञानिक, उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र, जावरा।
10. समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, ...।
11. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
12. निजसचिव माननीय कुलपति महोदय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
13. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर विश्वविद्यालय वैबसाईट पर अपलोड कराने बावत्।

R.S.Chaturvedi
(लेखा नियंत्रक)